श्रम न्यायालय कोरबा में प्र०क्र० 05/CGPR/2022 भारत एल्यु० कं०लि० कोरबा वि० बालको कर्मचारी संघ में दि० 18/4/2022 एवं 19/4/2022 ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रति ①

न्यायालय, श्रम न्यायालय, कोरबा (छ.ग.)

आदेश पत्रक

पेज सं० 01

सहायक अधीक्षक
श्रम न्यायालय, कोरबा
(छत्तीसगढ)

मामला क्रमांक ......05/CG.PR/2022......

आदेश का दिनांक	आदेश हस्ताक्षर सहित	
18/4/2022	भारत एल्यु० कं०लि० कोरबा द्वारा श्री अमित प्रधान (जूनियर एक्जीक्यूटिव) द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 61(1)(ए)(बी) सहपठित धारा 80, छ०ग० औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960, एवं अन्य आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 107 सहपठित धारा 64(क) एवं 106, छ.ग. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29(2) छ.ग. औद्योगिक संबंध अधि 1960 शपथ पत्र, वकालतनामा, एवं सूचीनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर के मेमोरेण्डम नं. 669/Confdl. 2021/I-08-02/2010 PL(II) बिलासपुर दि. 17/8/2021 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा छ०ग० के ज्ञापन क्रमांक 3574/तीन/15-02-2021 कोरबा दिनांक 18/8/2021 के पालन में प्रत्येक शुक्रवार के दिन श्रम न्यायालय से संबंधित कामकाज की सुनवाई हेतु आदेशित किया गया है अतः आगामी किसी शुक्रवार के दिन नियत किया जाता है। प्रकरण विचार/पंजीयन हेतु दि. 22/4/2022	Amit Pradhan Dt-22-04-22 Amit Pradhan J.E.
19/04/2022 आवेदक द्वारा श्री आर०एन० राठौर अधि० द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 64(ड) छ.ग. औद्योगिक संबंध अधि- 1960 एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।		

(2)

आदेश पत्रक (पूर्वानु...

आदेश का दिनांक	आदेश हस्ताक्षर सहित

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 64(क) छ.ग.औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 स्वीकार कर प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया गया।

प्रकरण नियमानुसार पंजीबद्व किया जाय।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29(2) औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 स्वीकार कर श्री आर.एन.राठौर अधिवक्ता एवं श्री सी.बी. राठौर अधिवक्ता को पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 107 सहपठित धारा 64(क), 106 छ.ग.औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 पर तर्क श्रवण किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 107 सहपठित धारा 64(क) एवं 106, छ.ग. औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 इस आशय का पेश किया है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के अंतर्गत कार्यरत ठेका श्रमिकों के संबंध में वर्ष 2017–18 में निष्पादित तथाकथित वेतन समझौता के अनुसार ठेका श्रमिकों को वर्ष 2020–21 में छःमाह की वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए उक्त समझौते का पालन करवाने के आशय से 48 घंटों के भीतर कारण बताने बाबत विभिन्न नोटिस दिनांक 04.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022 एवं 08.04.2022 उक्त ठेका श्रमिकों के नियोजको एवं आवेदक को प्रदान कर आन्दोलन की ओर अग्रसर होने की चेतावनी दी गई। जारी विभिन्न नोटिस दिनाक 04.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022 एवं 08.04.2022 सर्वथा विधि विरूद्व एवं औचित्यहीन है। प्रकरण के गुणदोष के आधार पर निराकरण में लंबा समय लगना अवश्यंभावी है जिसके पूर्व अनावेदक द्वारा दिनांक 13.04.2022 से जारी हड़ताल को प्रतिबंधित एवं स्थगित किया जाना अत्यावश्यक है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदक कंपनी एल्यूमिनियम का उत्पादन एवं विनिर्माण किया जाता है तथा ताप विद्युत संयंत्र का भी संचालन किया जाता है। आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचीनुसार दस्तावेज अनुसार अनावेदक द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.04.2022 एवं 06.04.2022, के अनुसार बालको कर्मचारी संघ आंदोलन हेतु अग्रसर होने की सूचना प्रस्तावित है। उक्त सूचना से यह भी ज्ञात होता है कि अनावेदक द्वारा आवेदक संस्थान के समक्ष प्रतिवर्ष कर्मियों को 12 प्रतिशत वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति से संबंधित है, के संबंध हड़ताल किया जाना प्रस्तावित है।

उक्तानुसार अभिलेख सामग्री से यह प्रथम दृष्टयां प्रतीत होता है कि अनावेदक द्वारा हड़ताल किया जाना प्रस्तावित था तथा दिनांक 13.04.2022 से हड़ताल का आयोजन किया गया।

आवेदक संस्थान में हड़ताल से औद्योगिक, सुरक्षा व शांति एवं व्यवस्था प्रभावित होगी, परिणाम स्वरूप हड़ताल से आवेदक संस्थान में

22.04.2022

(3)

न्यायालय, श्रम न्यायालय, कोरबा (छ.ग.)

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक 05/CGIR/2022

आदेश का दिनांक	आदेश हस्ताक्षर सहित	
	एल्यूमिनियम उत्पादन एवं विनिर्माण तथा विद्युत उत्पादन का कार्य भी प्रभावित हो जायेगा। प्रकरण के इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस न्यायालय की राय है कि मामले में पेश आवेदन अंतर्गत धारा 107 छ.ग. औद्योगिक संबंध अधिनियम आगामी पेशी तारीख 22.04.2022 तक अनावेदक द्वारा दिनांक 13.04.2022 से जारी हड़ताल को एकपक्षीय स्थगन आदेश से रोका जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। अतः न्यायहित में आगामी पेशी तारीख 22.04.2022 तक इस एकक्षीय स्थगन आदेश द्वारा दिनांक 13.04.2022 से जारी हड़ताल को रोका जाय। आवेदक द्वारा आज ही समस्त आवेदन पत्रों की प्रति व दस्तावेजों की प्रति के साथ विधिवत तलवाना अदा करने पर अनावेदक को मामले की नोटिस नियमानुसार जारी किया जाय। प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 107 छ.ग.औद्योगिक संबंध अधिनियम के जवाब एवं तर्क हेतु दिनांक 22.04.2022 (सुश्री संघपुष्पा भतपहरी) Presiding Officer Labour - Court, KORBA (C G)	

(4)

प्रमाणित

सत्य - प्रतिलिपि

श्रम न्यायालय कोरबा छत्तीसगढ़ सत्यमेव जयते

Application received No 19/20.04.2022
Copy ready on 20/4/2022
Copy delivered on 20/4/2022
Copied by
Compaired by
Copying Compaired 3/-
Charge Rs. 18/-
amount Received on 20/4/2022

20/4/2022
सहायक अधीक्षक
श्रम न्यायालय, कोरबा
(छत्तीसगढ़)

R.N. 82209
517/7
dt 20/4/2022